संख्या: 33/2017/163/छप्पन-2017-10(3)/2004

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2017

विषय: लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर मार्ग पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित किये गये निर्णय के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-649/ना0उ0नि0/2017, दिनांक 01.02.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र में अवगत कराया गया है कि लखनऊ स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण आदि के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही एवं निर्धारित मुआवजे आदि का भुगतान जिला प्रशासन, लखनऊ के स्तर से किया गया था। तत्पश्चात् प्रभावित कतिपय भू-स्वामियों द्वारा उनको दी गयी मुआवजे की धनराशि पर असन्तोष व्यक्त करते हुए मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका, न्यायाधिकरण, लखनऊ के न्यायालय में भू-अर्जन की धारा-18 के अन्तर्गत योजित प्रकीर्ण वादों में से 03 वादों, प्रकीर्ण वाद संख्या-31/2004, अखिलेश आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, प्रकीर्ण वाद संख्या-34/2004, चन्दन लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रकीर्ण वाद संख्या-27/2004, श्रीमती प्रभुदेई बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका, न्यायाधिकरण/ अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा भूमि की संशोधित दरों पर भुगतान किये जाने के निर्णय पारित किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं अपर जिलाधिकारी, (भू0अ0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ से प्राप्त गणना के अनुसार डिक्री की कुल धनराशि रूपये 34,57,306/- (रूपये चौंतीस लाख सत्तावन हजार तीन सौ छः मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त तीन वादों में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित निर्णयों के अनुपालनार्थ डिक्री की कुल धनराशि रूपये 34,57,306/- (रूपये चौंतीस लाख सत्तावन हजार तीन सौ छः मात्र) की सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-38 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" से वहन की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या: 33/2017/163(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- अपर-जिलाधिकारी, (भूमि अध्यासि) सं0सं0, लखनऊ।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- न्याय अनुभाग-6
8- समीक्षा अधिकारी (बजट), नागरिक उड्डयन अनुभाग, उ0प्र0, सचिवालय।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in